आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के तहत सांविधिक निकाय)

कोर 5–ए, तृतीय तल, इंडिया हैबिटैट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

निविदा अधिसूचना

राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण के संवर्धन एवं विकास हेतु एक विशेष प्रयोजन माध्यम संस्थापित करने के लिए सलाहकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निहित तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तें रा.आ.बैंक की वेबसाइट **http://www.nhb.org.in.** पर उपलब्ध है एवं उक्त को दिनांक **25.01.2022** से बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

महाप्रबंधक – बाजार अनुसंधान,
परामर्श एवं नीति विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

शाखा : आर ओ एसएआरबी, ईस्ट दिल्ली
प्रथम तल, रामनगर, 8718, डी.बी गुप्ता रोड
पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055
ईमेल: saredl@bankofbaroda.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जी.एस.आर.सं. 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को 01.04.2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलित कर दिया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ–साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक के पक्ष में सुरक्षा ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थानांतरित और निहित हैं

और

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री वेद प्रकाश (प्रोपराईटर) और श्रीमती रेणु सिंह (गारंटर) मैसर्स वीपी कंसट्रक्शन, सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अर्थात दुकान नं. 14, (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 24 में से, नवीन पार्क हडबस्ट, गाँव–जगौला, परगना–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 13.74 वर्ग मी., यह सम्पत्ति रेणु सिंह पत्नी वेद प्रकाश के नाम पर है। को मांग सूचना दिनांक 09.04.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 65,96,871/- (रु. पैसठ लाख छियान्वे हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **21.01.2022** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, कोट, के प्रभार वास्ते रू 65,96,871/- (रु. पैसठ लाख छियान्वे हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) दिनांक 31.03.2021 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अर्थात दुकान नं. 14, (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 24 में से, नवीन पार्क हडबस्ट, गाँव–जगौला, परगना–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 13.74 वर्ग मी., यह सम्पत्ति रेणु सिंह पत्नी वेद प्रकाश के नाम पर है।

दिनांक : 21-01-2022, स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः 1993, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली–110040

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय), 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, दिल्ली शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.8.2021 जारी कर **ऋणधारकों:** श्री गुरमीत सिंह, पुत्र गुरविन्दर सिंह तथा श्री जसप्रीत सिंह, पुत्र श्री गुरविन्दर सिंह **को उक्त** सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 28,77,234/- (रुपये अट्ठाईस लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौंतीस मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19.01.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु. 28,77,234/- (रुपये अट्ठाईस लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौंतीस मात्र)** तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज के लिये **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, दिल्ली शाखा** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम-खयाला, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018 के क्षेत्र में माप 86.11 वर्ग मी. में स्थित खसरा नं. 17/2 के भाग में छत के अधिकार के बिना श्री गुरमीत सिंह, पुत्र गुरविन्दर सिंह तथा श्री जसप्रीत सिंह, पुत्र श्री गुरविन्दर सिंह के नाम में आवासीय भूमि/भवन, सम्पत्ति सं. जे-52, सम्पूर्ण 3 रे तल के सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज। चौहद्दी:

उत्तर: 20 फीट गली, **दक्षिण:** 10 फीट गली
पूर्व: अन्य प्लॉट, **पश्चिम:** अन्य प्लॉट

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 19.01.2022 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः 1993, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली–110040

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय), 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, दिल्ली शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.08.2021 जारी कर **ऋणधारकों: श्रीमती कँवलजीत कौर, पुत्री श्री पूरण सिंह, 2. श्रीमती हरप्रीत कौर, पत्नी दलजीत सिंह** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 38,79,852/- (रुपये अड़तीस लाख उन्यासी हजार आठ सौ बावन मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19.01.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु. 38,79,852/- (रुपये अड़तीस लाख उन्यासी हजार आठ सौ बावन मात्र)** तथा उस पर ब्याज के लिये **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, दिल्ली शाखा** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम- ख्याला, विष्णु गार्डन एक्स्टें, गली नं. 4, नई दिल्ली-110018, माप 70 वर्ग याड्र्स के क्षेत्र में खसरा नं. 19/5 मे से उसके छत के सभी अधिकारों के साथ फ्री-होल्ड निर्मित सम्पत्ति सं. बी-1/34 में स्थित श्रीमती कँवलजीत कौर, पुत्री श्री पूरण सिंह के नाम में आवासीय भूमि/भवन के सभी भाग एवं हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज।

चौहद्दी:
उत्तर: सम्पत्ति सं. बी-1/33 **दक्षिण:** उक्त सम्पत्ति का शेष भाग
पूर्व: 15 फीट चौड़ी गली **पश्चिम:** 15 फीट चौड़ा रोड

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 19.01.2022 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

शाखा : एनडीएसएमई, पीरागढ़ी चौक, दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार **मैसर्स वंदेयू इंटरनेशनल प्रा. लि.** को मांग सूचना दिनांक 09-11-2021 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 7,37,58,437.00 (रु. सात करोड सैतीस लाख अट्ठावन हजार चार सौ सैतीस मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **21.01.2022** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया,** के प्रभार वास्ते **रु. 7,37,58,437.00 (रु. सात करोड सैतीस लाख अट्ठावन हजार चार सौ सैतीस मात्र) और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 40, क्षेत्रफल 694.4 वर्ग गज, मॉडल टॉउन, गोपी राम धर्मशाला के पास, मण्डी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती वीना कथूरिया स्वं. श्री राम धन कथूरिया के नाम पर है।

(2) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 8, क्षेत्रफल 538.20 वर्ग गज, सैक्टर–6–पी, हंसी, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती पुष्पा सिंघला पत्नी श्री हरकेश सिंघला के नाम पर है।

(3) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 35, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, इन्द्रा कॉलोनी (कस्टोडियन कॉलोनी) हंसी, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती पुष्पा सिंघला पत्नी श्री हरकेश सिंघला के नाम पर है।

दिनांक : 21-01-2022, स्थान : हरियाणा **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

एथेना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआइएनः U70109DL2006PLC151538
"इंडियाबुल्स हाउस" 448-451, उद्योग विहार, फेज - V, गुरुग्राम-122001

सार्वजनिक सूचना

जबकि निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा ('डीटीसीपी') ने मेमो नंबर एलसी–4365–जेई (डीएस)/2021/783 दिनांक 10.01.2022 ('एलओआई') के तहत अतिरिक्त भूमि माप पर ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए दी गई सैद्धांतिक मंजूरी 2014 की लाइसेंस संख्या 155 दिनांक 10.09.2014 से प्रवास नीति ('कथित प्रवास') के तहत अतिरिक्त भूमि 5.88125 एकड़ क्षेत्र में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी स्थापित करने के लिए ग्राम पावला खुसरूपुर, सेक्टर–105, गुरुग्राम की राजस्व सम्पदा में स्थित है, एथेना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('कंपनी') को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में प्रवास के लिए अंतिम मंजूरी देने से पहले, डीटीसीपी ने कंपनी को कार्यालय आदेश दिनांक 25.01.2021 ('उक्त आदेश') के अनुपालन में लाइसेंस संख्या 2007 के 213, 2011 के 10, 2012 के 64 और 2014 के 155 के मौजूदा आवंटियों से आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने के लिए कहा है।

जबकि 2014 के लाइसेंस संख्या 155 में कोई मौजूदा आवंटी नहीं है। तदनुसार, 2007 के लाइसेंस संख्या 213, 2011 के 10 और 2012 का 64 उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त प्रवास के लिए उपर्युक्त सैद्धांतिक नियम और शर्तों के तहत विकसित की जा रही ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के मौजूदा आवंटियों से आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

इस संबंध में, उक्त एलओआई की एक प्रति और मौजूदा ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की साइट योजना 2007 के लाइसेंस संख्या 213, 2011 के 10 और 2012 के 64 और 2014 के 155 के तहत आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई है, यहाँ पर – (ए) सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम के कार्यालय में एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर – 14, गुरुग्राम और (बी) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में।

तद्नुसार, मौजूदा आवंटियों को प्रस्तावित उक्त प्रवास पर आपत्ति/सुझाव, यदि कोई हों, तो इसे वरिष्ठ टाउन प्लानर, गुरुग्राम और/या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर दिनांक 24.02.2022, तक दर्ज करा सकते हैं। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि प्रवास के उपर्युक्त सैद्धांतिक अनुमोदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ता./-
स्थानः गुरुग्राम **एथेना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए**
दिनांकः 25.01.2022 **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

नियुक्तियां

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

संविदा आधारपर **तकनीकी सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी)** के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु, अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत शर्तें तथा आवेदन प्रपत्र पोर्ट की वेबसाइट **www.mumbaiport.gov.in** के अंतर्गत **"media / vacancy" मेन्यू** पर उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कृपया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन देखिए। **आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 07/02/2022 है।**

MbPT-25-2022 **सचिव**

SMT SHATABEN HARIBHAI GAJERA CHARITABLE TRUST, SURAT MANAGED

GAJERA TRUST

LAXMI VIDYAPEETH

SARIGAM-396155

LAXMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

JOB OPPORTUNITIES

Departments	Degree Program			Diploma Program	
	Professor	Associate Pforessor	Assistant Professor	HOD	Lecturer
Mechanical	2	7	4	1	1
Civil	2	7	5	1	1
Electrical	1	4	4	1	1
Automobile	1	4	6	1	1
Computer Engineering	1	4	4	-	-
Information Technology	1	4	4	-	-
Software Development	-	-	4	-	4

Principal (Diploma)	1
Campus Placement Officer	1
Registrar	1

Submit Soft Copy of CV on : lit.director@laxmi.edu.in

LAXMI INSTITUTE OF MANAGEMENT

Associate Professor	2
Assistant Professor	2

Submit Soft Copy of CV on: director.lim@laxmi.edu.in

Qualification and pay scale are as prescribed by UGC/AICTE & GTU. The applicants may send their application along with the copies of mark sheets/certificates & Aadhar/PAN card registered post to "HR Dept, Laxmi Vidyapeeth, P.B. No 15, Sarigam -396155", mentioned post applied for and institute name at the top of sealed envelope and email soft copy on the aforementioned email ids within 30 days from the date of advertisement

President, Gajera Trust

ऐडरेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 118-बी मुनीश प्लाजा 20, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली 110092
सीआईएन: U65999DL2017PTC315047 | ईमेल: eadredfinance123@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 09 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना संख्या DNBR. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 के पैरा 5 के अनुपालन में **सार्वजनिक सूचना।** एतद् द्वारा शेयरधारको को सूचित किया जाता है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 के तहत निगमित और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ प्रमाणपत्र संख्या N-14.03396 के तहत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत ऐडरेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय 118- बी मुनीश प्लाजा 20 अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली 110092 में स्थित है, के शेयरधारक 1. धुर्वेश कुमार पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा 2. चेतन शर्मा पुत्र सुरेंद्र कुमार 3. भुवनेश शर्मा पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा 4. रूबी शर्मा पत्नी श्री धुर्वेश कुमार 5. धुर्वेश कुमार (हिंदू अविभाजित परिवार) को शेयरों की बिक्री के माध्यम से कंपनी के स्वामित्व व नियंत्राण को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं।

श्री शोभित शर्मा और श्री चेतन शर्मा को नया निदेशक नियुक्त किया जाएगा, इस्तीफा देने वाले निदेशक श्री यानशुक शर्मा हैं। ऐडरेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के सभी व्यवसाय, व्यापार का स्वामित्व और नियंत्राण लेंगे। इसलिए, स्थानांतरण के लिए व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ाना, विस्तार करना और विविधता लाना है। उपरोक्त नोटिस आरबीआई परिपत्र डीएनबीआर, (पीडी) सीसी, संख्या 065/03.10.001/2015-16 दिनांक जुलाई, 09, 2015 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अनुसार दिया जा रहा है। कंपनी ने 19 जनवरी, 2022 के पत्र संख्या S473 /CMS-V/05.10.053/2021-22 के माध्यम से आरबीआई, दिल्ली से प्रबंधन में बदलाव के लिए पहले ही पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है। इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/आपत्ति को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग, दिल्ली 110001 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर विरोध का आधर और आपत्ति की प्रकृति का उल्लेख बताते हुए संबोधित किया जा सकता है। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी और उक्त नामित अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा रही है।

ऐडरेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए

हस्ता/- **हस्ता/-**
जगहः दिल्ली **चेतन शर्मा** **धुर्वेश कुमार**
दिनांकः 24.01.2022 **(प्रस्तावित हस्तान्तरिती की ओर से)** **(मौजूदा निदेशक)**

ART HOUSING FINANCE
Own your dreams

एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में एआरटी एफर्डेबल हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड विदित)
पंजी. कार्यालयः 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
शाखा कार्यालयः 49, उद्योग विहार फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015

[परिशिष्ट-IV] (देखें नियम 8(1))
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड (CIN No. U65999DL2013PLC255432) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.06.2021 ऋण खाता सं. LNSNP06917-180001939 के लिये जारी कर ऋणधारकों रघवीर एवं कमला देवी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 23.06.2021 को रु. 5,28,396/- (रुपये पांच लाख अटट्ठाईस हजार तीन सौ छियानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21.01.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 23.06.2021 को रु. 5,28,396/- (रुपये पांच लाख अटट्ठाईस हजार तीन सौ छियानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है:

सम्पत्ति 24/458, आर्य नगर लैंडमार्क मकान सं. 26/458, आर्य नगर एक किता, प्लॉट का रकबा 200 वर्ग यार्ड्स, रकबा ग्राम कलूप, सुरी पेट्रोल पम्प वाली गली, सोनीपत, हरियाणा-131001 जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है:

पूर्वः जाट धरमशाला पश्चिमः 12 फीट गली
उत्तरः प्रताप सिंह दहिया का मकान दक्षिणः रामसरूप धनक की सम्पत्ति

तिथिः 21.01.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः सोनीपत **एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India undertaking
आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

आस्ति वसूली शाखा, 26/28-डी, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001,
(कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001)
ईमेलः arbdelhi@unionbankofindia.com

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारो के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
1. मैसर्स वी एंड एस इंटरनेशनल प्रा. लि., एस–22, द्वितीय तल, मनीष ग्लोबल मॉल, सेक्टर 22, द्वारका, नई दिल्ली–110075 और: 38 केएम माईलस्टोन, बेहरामपुर रोड, एनएच 8, दिल्ली जयपुर हाईवे, गुरुग्राम, हरियाणा –122001 और: 15/19 और 15/22 बेगमपुर खटोला, एनएच 8, दिल्ली जयपुर हाईवे, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 **2. श्री चंदर प्रकाश गाबा, बी–9/24, डीएलएफ फेज–1, गुरुग्राम (हरियाणा)–122002 और: सी–3, डीएलएफ कॉलोनी, गुड़गांव हरियाणा–122001** **3. सुश्री नीता गौबा बी–9/24, डीएलएफ फेज–1, गुरुग्राम (हरियाणा)–122002 और: सी–3, डीएलएफ कॉलोनी, गुड़गांव हरियाणा–122001** **4. मैसर्स मेहता व्हील्स प्रा. लि. इसके निदेशकों के माध्यम से, प्लॉट नं. 108, सेक्टर 44, गुरुग्राम (हरियाणा) और: 301, उद्योग विहार, फेज ।।, गुरुग्राम, हरियाणा 122001** **5. श्री साहिल गाबा, बी–9/24, डीएलएफ फेज–1, गुरुग्राम (हरियाणा)–122002, और: सी–3, डीएलएफ कॉलोनी, गुड़गांव, हरियाणा–122001** **6. श्री विपुल गाबा, बी–9/24, डीएलएफ फेज–1, गुरुग्राम (हरियाणा)–122002, और: सी–3, डीएलएफ कॉलोनी, गुड़गांव, हरियाणा–122001** **ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 31-05-2018**	**मांग सूचना की तारीख 23-12-2021** **बकाया राशि ₹ 17,11,32,945.96 दिनांक 30.11.2021 तक प्लस भविष्य का ब्याज एवं लागत इत्यादि**	**इंस्टीट्यूशनल प्लॉट नं. 108, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में स्थित, क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स मेहता व्हील्स प्रा. लि. के नाम पर है। जिस पर निचला भूतल, ऊपरी भूतल, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल, पाचवां तल और मुम्टी से मिलकर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है।** चौहद्दी : उत्तर में : संपत्ति नं. 107, दक्षिण में: संपत्ति नं. 109, पूरब में – प्रवेश और सड़क, पश्चिम में: अन्य प्लॉट पूर्वोक्त निर्मित भवन का तलवार क्षेत्रफल विवरण इस प्रकार है:– हुडा द्वारा जारी किए गए एमओयू नं. – 1988, दिनांक 17.02.2012 द्वारा जारी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अनुसार आच्छादित क्षेत्र (जैसा आपने डीआरटी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है) भूतल 1122.33 वर्ग फीट 104.267 वर्ग मी. प्रथम तल 3155 वर्ग फीट 293.087 वर्ग मी. द्वितीय तल 3034.39 वर्ग फीट 281.902 वर्ग मी. तृतीय तल 2924.96 वर्ग फीट 271.735 वर्ग मी. चतुर्थ तल 2561.29 वर्ग फीट 237.949 वर्ग मी. पाचवां तल 2561.29 वर्ग फीट 237.949 वर्ग मी. मुम्टी 362.88 वर्ग फीट 33.712 वर्ग मी. निचला भूतल 4900.98 वर्ग फीट 455.312 वर्ग मी. ऊपरी भूतल 2402.417 वर्ग फीट 223.19 वर्ग मी. **कुल कवर्ड एरिया 23025.537 वर्ग फीट 2139.103 वर्ग मी.** **साईट के अनुसार कवर्ड एरिया:** भूतल 3500 वर्ग फीट 325.16 वर्ग मी. प्रथम तल 3000 वर्